

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 35/2019
1. मूलचन्द पुत्र श्री बाबूलाल जाति चेजारा निवासी गोल्याणा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

-वादीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्री बाबूलाल उम्र 40 वर्ष, जति चेजारा निवासी गोल्याणा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

-प्रतिवादीगण

**दावा- स्थाई व्यादेश व विभाजन
निर्णय**

वकील वादी :- सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील प्रतिवादी :- रणवीर सिंह

निर्णय दिनांक 09.12.2019

वाद वादीगण दिनांक 29.07.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भूअ./2019/2209 दिनांक 04.10.2019 प्रस्तुत करने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण डिक्री किये जाने में वकील पक्षकाराना ने सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम चिराना की भूमि ख.नं. 1015/7, 1016/8, 1019/22, किता 3 कुल रकबा 0.53 है 0 एवं ग्राम रामपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 894/0.02, 895/1.59 कुल किता 2 कुल रकबा 1.61 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम चिराना की भूमि ख.नं. 1016/8 रकबा 0.0150, ख0न0 1019/22 रकबा 0.0700, ख0न0 1015/7 रकबा 0.1800 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय किता 3 कुल रकबा 0.2650 है 0 का मूलचन्द पुत्र बाबूलाल जाति चेजारा निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम चिराना की भूमि ख.नं. 1016/8मी. रकबा 0.0350, ख0न0 1019/22मी. रकबा 0.700, ख0न0 1015/7मी. रकबा 0.1600 किस्म बारानी तृतीय किता 3 कुल रकबा 0.2650 है 0 का सीताराम पुत्र श्री बाबूलाल जाति चेजारा निवासी सा.देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम रामपुरा की भूमि ख.नं. 895/1 रकबा 0.8050 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय का मूलचन्द पुत्र बाबूलाल जाति चेजारा निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 894 रकबा 0.0200, ख0न0 895/2 रकबा 0.7850 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय का सीताराम पुत्र श्री बाबूलाल जाति चेजारा निवासी सा.देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ



(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री मुरारीलाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा: स्थाई व्यादेश व विभाजन

(मूलचन्द बनाम सीताराम आदि)

मुकदमा सं०:- 35/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री मुरारीलाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.12.2019 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम चिराना की भूमि ख.नं. 1015/7, 1016/8, 1019/22, किता 3 कुल रकबा 0.53 है0 एवं ग्राम रामपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 894/0.02, 895/1.59 कुल किता 2 कुल रकबा 1.61 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम चिराना की भूमि ख.नं. 1016/8 रकबा 0.0150, ख0न0 1019/22 रकबा 0.0700, ख0न0 1015/7 रकबा 0.1800 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय किता 3 कुल रकबा 0.2650 है0 का मूलचन्द पुत्र बाबूलाल जाति चेजारा निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम चिराना की भूमि ख.नं. 1016/8मी. रकबा 0.0350, ख0न0 1019/22मी. रकबा 0.700, ख0न0 1015/7मी. रकबा 0.1600 किस्म बारानी तृतीय किता 3 कुल रकबा 0.2650 है0 का सीताराम पुत्र श्री बाबूलाल जाति चेजारा निवासी सा.देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम रामपुरा की भूमि ख.नं. 895/1 रकबा 0.8050 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय का मूलचन्द पुत्र बाबूलाल जाति चेजारा निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम रामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 894 रकबा 0.0200, ख0न0 895/2 रकबा 0.7850 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय का सीताराम पुत्र श्री बाबूलाल जाति चेजारा निवासी सा.देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-..... का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 09 माह 12 सन.2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुकमनामा	-	बाबत इजराय हुकमनामा	-
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00

